



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126768

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18248/2026

गुड्डू अहमदआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार वर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति सजीव कुमार,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 489/2025, अंतर्गत धारा- 109(1), 109(2), 118(2), 121(1), 189(5), 191(2), 191(3), 195(1), 196(1), 196(3), 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), 62, 317(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) एवं 7 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना- कोतवाली, जिला- बरेली में उसे जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में जूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक 30.09.2025 से जेल में है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) 25 नामजद व्यक्तियों और लगभग 700 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि विवेचना के पश्चात सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, अर्थात् इकबाल और इदरीश को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10126/2026 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर मुक्त होने की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, मामले के सभी संसक्त तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बना लिया है। तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. उपर्युक्त मुकदमा अपराध से संबद्ध आवेदक- गुड्डू अहमद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके समान अपराध का वह अभियुक्त है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के समय वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 229-ए (तदनुरूपी धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तदनुरूपी धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूपी धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूपी धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

11 जून, 2026

ए.एन. मिश्रा

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"